राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ 3(1)(1)नपा/रानिआ/19/पार्ट–2/520 दिनांक : 12/01/2020

जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर)
(नगरपालिका) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।

विषयः– नगरपालिका आम चुनाव, 2020 – निर्वाचक नामावली की तैयारी के संबंध में।
संदर्भः– आयोग का पत्रांक 508 दिनांक 11.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आयोग द्वारा 6 नवगठित नगर निगम, जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के आम चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली का कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गए थे।

उक्त निर्देशों के बिन्दु संख्या–7 में अंकित किया गया था कि चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त 6 नगर निगमों का नए सिरे से परिसीमन किया गया है, अतः प्रगणकों को उनके वार्ड से संबंधित नवीन परिसीमन आदेश एवं नक्शे इत्यादि उपलब्ध कराए जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से प्रगणकों की बैठक कर परिसीमन के संबंध में यदि उनकी कोई शंका हो तो तुरन्त उसका समाधान करेंगें।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त तीनों जिलो के नवीन परिसीमन में एक नगर निगम से दो नगर निगम बनाए है एवं वार्डो की संख्या/सीमाओं में भी बड़े स्तर पर बदलाव आया है, जिससे प्रगणकों को उनके वार्डों की जानकारी का अभाव हो सकता है।

अतः इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि प्रत्येक 10 वार्ड के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो स्वयं भी उन्हें आवंटित वार्डो की सीमाओं/क्षेत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर उसके अधीन प्रगणकों से समन्वय स्थापित कर उन्हें उनसे संबंधित वार्डो की सीमाओं/क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अवगत कराए तथा प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के दौरान ये नोडल अधिकारी प्रगणकों के निरन्तर सम्पर्क में रहकर, उनको मतदाता सूची तैयार करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करें ताकि मतदाता सूची के प्रारूप बनाने में किसी भी तरह की अशुद्धि होने की सम्भावना नहीं रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि चूंकि नवीन परिसीमन के पश्चात् वार्डो की सीमाओं में व्यापक बदलाव आया है, अतः मतदाताओं को भी मतदाता सूची के कार्यक्रम की समाचार पत्र एवं अन्य संचार के माध्यमों से इस हेतु जानकारी दी जाए।

आज्ञा से,

12.1.2020
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

C:\Users\VIPIN KUMAR\Downloads\NP Gen. Election 2019.docx
199